



Government of Rajasthan

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

Room No. 8325, N-W Block, Secretariat, Jaipur. Ph : 0141-2227669, 2227838

No. F16(1)(4)/RGPSP-15/ENV/2014

Date : 31.10.2014

Nominations are invited  
(from Residents / Organizations of Rajasthan only) for following

### "Rajeev Gandhi Paryavaran Sanrakshan Puraskar"

for the year 2015

1. Prize of ₹ 5.00 lakh along with Silver Lotus trophy to the Organization / Institution for outstanding work in the field of conservation of environment.
2. Prize of ₹ 3.00 lakh along with Silver Lotus trophy to the Municipality / Municipal Corporation, who has done outstanding work in the field of Implementation of Environmental Laws.
3. Prize of ₹ 2.00 lakh along with Silver Lotus trophy to the Individual, who has done outstanding work in the field of conservation of environment.

Any Resident of Rajasthan having at least 10 years work experience in the field of environment (substantiated in support of his experience by published / field work) / NGO working in the field of environment with at least five years experience can apply. Concerned District Collector / Deputy Conservator of Forests, Forest Department of Rajasthan/Regional Officer, State Pollution Control Board can propose nomination of any citizen or organization of Rajasthan who has above mentioned working experience in the field of environment. Name of the 5 Municipalities / Municipal Corporation will be proposed by Director, Local Bodies for the award earmarked for municipalities. The nomination will be made in the proforma prescribed as under :

- 1 Name and address of the nominee / organization
- 2 Name and address of the Proposer
- 3 Date of Birth / Age of the Nominee (in case of individual)
- 4 Present employment of the nominee (in case of individual)
- 5 Type of organization (in case of organization)
- 6 Details of previous award received (if any)
- 7 Details of significant contributions made by nominee / organization proposed
- 8 Details of funds received during the last 3 years prior to the year of nomination

For details environment department's website [environment.rajasthan.gov.in](http://environment.rajasthan.gov.in) may be referred  
Nominations complete in all respects in the prescribed proforma, should be sent to the **Director cum Joint Secretary, Environment Department Room No. 8240/8325, North-West Block, Secretariat Jaipur.** On the envelop of the nominations "For Rajeev Gandhi Paryavaran Sanrakshan Puraskar-2015" should be mentioned.

Self nomination and nominations proposed by relatives and directly sent to Environment Department will not be considered.

**Last Date for Receipt of Nominations : 31st Dec., 2014**

JPC

12 x 18 Sqcm

Rajasthan Samvad / JPC



राजस्थान सरकार

## पर्यावरण विभाग

कमरा नं. 8325, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर फोन : 0141-2227669, 2227638

क्रमांक: प.16(1)(4)/रा.गां.प.सं.पु.-15/पर्या/2014

दिनांक: 31.10.2014

पर्यावरण संरक्षण/सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्थान के नागरिकों/संगठनों से निम्नांकित राज्य स्तरीय

### राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वर्ष 2015

आमंत्रित किये जाते हैं:

1. पुरस्कार राशि रुपये 5.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी –संगठन/संस्था को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य संपादित किया हो।
2. पुरस्कार राशि रुपये 3.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी –नगर पालिका/नगर निगम को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण अधिनियम/नियमों की अनुपालना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य संपादित किया हो।
3. पुरस्कार राशि रुपये 2.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी –व्यक्ति वर्ग को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य संपादित किया हो।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का कार्यानुभव रखने वाले राजस्थान के किसी भी नागरिक (अपने अनुभव के समर्थन में प्रकाशित/क्षेत्र सम्बन्धी कार्य साक्ष्य के रूप में दिया गया हो), राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम पांच वर्षों के अनुभव वाले गैर-सरकारी संगठन/संस्था/संस्थान अथवा संगठन के नामांकन प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलेक्टर/उप वन संरक्षक, वन विभाग/क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निम्नवत विहित प्रपत्र में पुरस्कार हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। नगर पालिका/नगर निगम को दिये जाने वाले पुरस्कार हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग 5 नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के नाम प्रस्तावित करेंगे।

- 1 नामित व्यक्ति/संगठन का नाम और पता
- 2 प्रस्तावक का नाम और पता
- 3 नामित व्यक्ति की जन्म तिथि/आयु (व्यक्ति के मामले में)
- 4 नामित व्यक्ति का वर्तमान व्यवसाय (व्यक्ति के मामले में)
- 5 संगठन का प्रकार (संगठन के मामले में)
- 6 विगत में प्राप्त पुरस्कार का विवरण (यदि कोई हो)
- 7 प्रस्तावित नामित व्यक्ति/संगठन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण योगदान
- 8 नामांकन के वर्ष से पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त निधियों का विवरण

विरतुत विवरण के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट [environment.rajasthan.gov.in](http://environment.rajasthan.gov.in) देखें। निर्धारित प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण नामांकनों को निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, कमरा नं. 8240/8325, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजा जावे। नामांकनों के लिफाफों पर "राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार-2015 हेतु" लिखा जावे।

स्वयं/संबंधियों द्वारा प्रस्तावित नामांकनों एवं विभाग को सीधे प्रेषित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख : 31 दिसम्बर, 2014

JPC

12 x 18 Sqcm

राजस्थान संवाद / जयपुर